प्रस्तावना

मार्च 2012 में समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिय तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन मुख्यतः रक्षा मंत्रालय, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक, अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा सैन्य अभियंता सेवाओं की वित्तीय लेन देन की लेखा परीक्षा में उद्भूत मामलों से संबन्धित है। रक्षा मंत्रालय की लेखा परीक्षा के जो परिणाम थलसेना एवं आयुध फैक्टरियों, थलसेना मुख्यालय, आयुध फैक्टरी बोर्ड, थलसेना की फील्ड यूनिटों, संबद्ध अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाइयों तथा सैन्य अभियंता सेवाओं से सम्बन्धित हैं, उन्हें अलग प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

इस प्रतिवेदन में 29 पैराग्राफ हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में की गई लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये तथा इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो कि पिछले वर्षों में देखने में आये थे, लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।